AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आदेश के लिए आरक्षितः 26.02.2024

आदेश दिनांकः 05.03.2024

CRR No. 551/2020

1– शैलेन्द्र अग्रवाल उर्फ बंटी आ.स्व.आनंदराम अग्रवाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी भाठापारा, थाना भाटापारा टाउन, जिला बलौदाबाजार(छ.ग.)

........आवेदक

।। विरूद्ध।।

1– शिवशंकर अग्रवाल आ.स्व.श्री मधुसूदन अग्रवाल, उम्र लगभग 38 वर्ष, हालमुकाम पुराना सिविल लाईन पुराना विश्राम भवन के पीछे राजनांदगांव, पुलिस थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

2– राज्य जिला मजिस्ट्रेट, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के माध्यम से

.........उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक के लिए	:	श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री अंजू मिश्रा, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त ।
प्रत्यर्थी क्र.01 के लिए	:	सुश्री फौजिया मिर्जा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त ।
प्रत्यर्थी क्र.02 के लिए	:	श्री प्रमोद श्रीवास्तव, उपसरकारी अधिवक्ता ।

माननीय श्री जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू

सी.ए.वी.आदेश

01. याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–401 सहपठित धारा 397 के तहत इस न्यायालय के अंतर्गत आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है, जो आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 95/2015 में पारित दिनांक

28.01.2020 के आदेश की वैधता और स्थिरता पर प्रश्न उठाता है । जहां विद्वान सत्र न्ययालय ने दिनांक 12.10.2018 के आदेश को अपास्त किया है और दोनों पक्षों को सुनवाई का समान अवसर प्रदान करने के पश्चात आरोप विरचित करने एवं नए सिरे से आदेश पारित करने के लिए विचारण न्यायालय को प्रकरण प्रेषित किया है ।

02. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने संबंधित पुलिस थाना में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके कोल्ड स्टोर में रखे गये सामान को ग्राहकों को नमूना दिखाने, कीमत बताने, सामान विक्रय के लिए आर्डर लेने और बेचे गये सामान को कोल्ड स्टोर से बाहर भेजने के उद्देश्य से आवेदक को नियुक्त किया गया था । जब शिकायतकर्ता ने कोल्डस्टोरेज में रखे गये सामान की स्थिति के बारे में कोल्ड स्टोरेज के मालिक से पूछा तो यह बताया गया कि आवेदक ने उसकी जानकारी के बिना कोल्ड स्टोरेज का कुछ सामान बेच दिया है और इस तरह उसने न्यासभंग किया है जिससे 50 लाख रूपये का नुकसान हुआ है । आवेदक द्वारा विक्रय राशि का उपयोग किया गया और वह फरार हो गया था । रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरूद्ध प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के आरोप के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई, जांच पूरी होने पर आवेदक एवं अन्य तीन व्यक्तियों के विरूद्ध पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा–420, 406, 409, 411, 201 के अपराध के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया इसके अलावा यह उल्लेख किया गया कि दो व्यक्ति अजय भट्टर एवं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संजय भट्टर के विरूद्ध जांच लंबित है ।

03. विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री पर विचार कर आरोप विरचित किया और आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा–420, 406, 409, 411, 201 के आरोप से उन्मोचित किया गया है और भारतीय दंड विधान की धारा–381 के तहत आरोप विरचित किया गया है । प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा दिनांक 12.10.2018 को आवेदक के विरूद्ध निर्मित आरोप पत्र को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–397 सहपठित धारा 399 के तहत पुनरीक्षण प्रस्तुत कर चुनौती दी गई जिसे आक्षेपित आदेश आंशिक रूप से स्वीकार किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

04. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बताया कि न्यायालय ने यह देखते हुए आक्षेपित आदेश पारित करने में गलती की है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पूरी सामग्री और आरोप पत्र में उपलब्ध दस्तावेजों पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है और इस तथ्य की अनदेखी करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 12.10.2018 को आदेश पारित करने के लिए कारण दिए हैं और आगे आवेदक को भारतीय दंड विधान की धारा 420, 409, 406, 411 और 201 के तहत अपराध से उन्मुक्त कर दिया है । सामान आवेदक को नहीं सौंपा गया था, क्योंकि इसे सिद्धि विनय कोल्ड स्टोरेज, गिरौद में रखा गया था लेकिन शिकायत से यह स्पष्ट है कि सामान कोल्ड स्टोरेज के मालिक को सौंपा गया था । आवेदक एक कर्मचारी था और उसे मासिक वेतन का भुगतान किया जाता था, जो आरोप पत्र के भाग आवेदक के

बही खाते (पृष्ठ क्रमांक 83) से भी स्पष्ट है । चूंकि आवेदक को कोई सामान नहीं सौंपा गया है, इसलिए धारा–406, 409 के तहत अपराध नहीं बनता । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा–420 को भी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि संपत्ति का परिदान और धोखाधड़ी के लिए कोई प्रलोभन नहीं है । धारा–420 और 406, 409 के तहत परिभाषित अपराध को आकृष्ट करने के लिए, संपत्ति का परिदान और संपत्ति को सौंपने के लिए बेईमानी प्रलोभन अनिवार्य है, जो इस मामले अनुपस्थित है । विद्वान मजिस्ट्रेट ने दिनांक 12.10.2018 को पारित आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा–420, 406, 409, 411, 201 के तहत अपराध के उपरोक्त तत्व आरोप पत्र में मौजूद नहीं है । आगे तर्क दिया कि सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण का विषय एक अंतर्वती आदेश है, इसलिए पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था और यदि परीक्षण के दौरान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कि आगे कोई अन्य आरोप तैयार किया जाना है, तो विचारण न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–216 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदक के खिलाफ विरचित किए गए आरोपों को परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार है । अपने तर्क के समर्थन में माननीय न्याय दृष्टांत **अमित कपूर बनाम रमेश चंदर एवं अन्य** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर किया, जो (2012) 9 एस.सी.सी 460 में रिपोर्ट किया गया था । **विजय कुमार घई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य** (2022)7 एससीसी 124 में रिपोर्ट किया गया तथा हिमाचल प्रदेश उच्च

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय, शिमला द्वारा **मुकेश शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य** Cr.MPM **No.2296/2023** के मामले में दिनांक 02.01.2024 को निर्णय लिया गया ।

05. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आवेदक के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता के निवेदन का विरोध करते हुए कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतर्वती आदेश सही नहीं है, विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप विरचित करते हुए दिनांक 12.10.2018 को आदेश पारित करते हुए आवेदक को धारा–420, 409, 406, 411, 201 के तहत आरोपों से उन्मुक्त कर दिया, जो उपरोक्त प्रभारों से आवेदक के उन्मोचन के संबंध में एक अंतिम आदेश है । इसके उपरांत आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि निर्दिष्ट दस्तावेजों ये यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता आवेदक का नियोक्ता है । शिकायतकर्ता ने अपने द्वारा विभिन्न स्थानों से खरीदे गए सामान को कोल्ड स्टोरेज में रखा, आवेदक को सामान सौंपा गया था और आगे इच्छुक खरीददार को भंडारण में रखे गये सामान के नमूने दिखाने के लिए, निर्धारित दर को बताने के लिए और सामान की बिक्री के लिए ऑर्डर लेने के लिए और सामान की बिक्री के बाद, सामान को कोल्ड स्टोरेज से बाहर भेजने हेतु रखा गया था । जिस नौकरी के लिए आवेदक को प्रतिनियुक्ति किया गया है, उसकी प्रकृति से स्पष्ट है कि आवेदक को कोल्ड स्टोरेज में रखे गये सामान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी । उसने तर्क किया कि भारतीय दंड विधान की धारा–420, 409, 406, 411 और 201 के तहत अपराध से उन्मोचन के आदेश को चुनौती देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–397 सहपठित धारा–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

399 पुनरीक्षण के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–398 के प्रावधान का उल्लेख करते हुए कि धारा–397 के तहत उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के पास जांच के लिए आदेश देने का क्षेत्राधिकार है। आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान सत्र न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि आरोप पत्र में उपलब्ध दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आवेदक को सामान के नमूने दिखाने, दरों का खुलासा करने और बेचे गये सामान को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकालने, बिक्री के लिए आर्डर लेने के काम के लिए नियोजित और प्रतिनियुक्त किया गया था । विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन तथ्यों की उचित रूप से विवेचना नहीं की गई थी । अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **सेवानिवृत्त कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी बनाम हुसैन मो. शत्तर एवं अन्य,(2023)7 एस.सी.सी 633** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री के चुनिंदा संदर्भ में दिमाग नहीं लगाया गया है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोप विरचित करने के स्तर में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए । प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता, पर्याप्तता और स्वीकार्यता केवल विचारण के स्तर पर में ही की जा सकती है । विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है ।

06. विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का विरोध किया गया और प्रस्तुत किया कि विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2020 में कानून का पूरा अनुपालन किया गया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

07. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के साथ इस न्यायालय के समक्ष रखी गई केस डायरी का भी अवलोकन किया है ।

08. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–397, 398 के प्रावधान के तहत मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक संदर्भ निम्नलिखित हैः

“397. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना–

(01) उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी अवर न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मंगाते समय निर्देश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लंबित रहने तक किसी दण्डादेश का निष्पादन निलंबित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर छोड़ दिया जाए ।

स्पष्टीकरण– सभी मजिस्ट्रेट चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हो या अपीलीय अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा–398 के प्रयोजनों के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सत्र न्यायाधीश से अवर समझे जायेंगे ।

(02) उपधारा (01) द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वती आदेश के संबंध में नहीं किया जावेगा ।

(03) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सत्र न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा आगे कोई आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा ।"

"398 जांच करने का आदेश देने की शक्ति– किसी अभिलेख की धारा 397 के अधीन जांच करने पर या अन्यथा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निदेश दे सकता है कि वह ऐसे किसी परिवार की, जो धारा 203, 204 की उपधारा 04 अधीन खारिज कर दी गई है या किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के मामले की जिसे उन्मोचित कर दिया गया है आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है ।

परंतु कोई न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उन्मोचित कर दिया गया है, इस धारा के अधीन जांच करने का कोई निदेश तभी देगा जब इस बात का कारण दर्शित करने के लिए कि ऐसा निदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अवसर मिल चुका हो।"

09. अब तक आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया कि दिनांक 12.10.2018 को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के तहत आरोप विरचित करने के संबंध में है । मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में उल्लेखित भारतीय दंड संहिता की धारा–381 के तहत आरोप विरचित किया और आवेदक को भारतीय दंड संहिता की धारा–420, 406, 409, 411 और 201 के तहत आरोपों से उन्मोचित कर दिया जो स्वाभाविक रूप से अंतिम है । पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर उन्मोचित करने का आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं है । **हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम लिमिटेड विरूद्ध हरियाणा राज्य एवं अन्य (1990)3(558)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "4. संहिता की धारा 397 (2) में आने वाले "अंतर्वती आदेश" शब्द की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय के कई निर्णय है । *अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य (1977)4 एस.सी.सी 137* में परिभाषित किया गया हैः–
>
> "अंतरिम आदेश" शब्द एक सुप्रसिद्ध विधिक महत्व का शब्द है और उसमें कोई कठिनाई नहीं है । इसका उपयोग विभिन्न विधियों में किया गया है जिसमें व्यवहार प्रक्रिया संहिता, उच्च न्यायालयों के पत्र और समान विधियां शामिल है । वेबेस्टर के न्यू वर्ड डिक्शनरी में "अंतरिम को ऐसा निर्णय माना गया है जो कि अंतिम आदेश नहीं होता है। निर्णित मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि अपील योग्य

> अंतरिम आदेश वह होना चाहिए जो किसी विशेष पहलू के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्णय करते हो । हमें ऐसा लगता है कि 1973 के संहिता की धारा-397(2) "अंतरिम आदेश" शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में किया गया है, न कि किसी व्यापक या कलात्मक अर्थ में । यह केवल एक विशुद्ध रूप से अंतरिम या अस्थायी प्रकृति के आदेशों को दर्शाता है जो पक्षों के महत्वपूर्ण अधिकारों या दायित्वों पर निर्णय नहीं लेगा या प्रभावित नहीं करता है । कोई भी आदेश जो अभियुक्त के अधिकार को मूलतः प्रभावित करता है या पक्षकारों के कुछ अधिकारों का निर्णय करता है । उसे अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता जिससे कि उस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण पर रोक लगाई जा सके, क्योंकि वह उस उद्देश्य के विरूद्ध होगा, जिसने 1973 संहिता की धारा-397 में इस विशेष प्रावधान को सम्मिलित करने का आधार बनाया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य 1977(4) एस.सी.सी551 में पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायाधीश उंतिवालिया ने *अमरनाथ* मामले और कुछ अन्य निर्णयों का उल्लेख करने के बाद और "अंतरिम आदेश" शब्द का अर्थ समझाने के बाद अंत में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

> "यदि धारा-203 या धारा 204(4) के तहत शिकायत खारिज कर दी जाती है या न्यायालय कार्यवाही को शून्य मानती है या अभियुक्त को उन्मोचित करती है तो शिकायतकर्ता या अभियोजक के द्वारा उच्च

न्यायालय में पुनरीक्षण उचित होगा, अन्यथथा यह नई संहिता की धारा 398 को निर्थक बना देगा ।"

अमरनाथ मामले और *मुध लिमये* मामले में की गई उपरोक्त टिप्पणियों के संदर्भ में वर्तमान मामले में उठे प्रश्न की जांच की जाये तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय का आदेश पोषणीय नहीं है और इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उन्मोचन करने का आदेश "अंतरिम आदेश" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति यहां सीमित नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मामले के तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण सुनवाई योग्र नहीं था, पोषणीय नहीं है इसे निरस्त किया जाता है ।

11. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा निवेदन यह है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने सी.आर.पी.सी की धारा–397 और 399 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण अधिकारिता के तहत दिनांक 12.10.2018 को आरोप विरचित करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश को अपास्त करने में त्रुटि की है, विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश यह दर्शाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने धारा–420, 409, 406, 411 एवं 201 के तहत अपराध से आवेदक को उन्मोचित करने का आदेश पारित करते समय यह देखा कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए कोई बेईमानी या प्रलोभन नहीं है,

आवेदक को सामान नहीं सौंपा गया है । प्रत्यर्थी क्रमांक 01 द्वारा संबंधित पुलिस थाना के समक्ष प्रस्तुत शिकायत का अवलोकन जो अपराध के पंजीकरण का आधार है यह दर्शाता है कि हालांकि सामान सिद्धि विनायक कोल्ड स्टोरेज, गिरौध में रखा/संग्रहित गया था, यह आवेदक के नियंत्रण में था क्योंकि आवेदक जो शिकायतकर्मा का कर्मचारी था उसे कोल्ड स्टोरेज में संग्रहित सामान निकालने के बाद ग्राहकों को सामान दिखाने, बिक्री की दर का खुलासा करने, सामान खरीदने के इच्छुक खरीददार से आदेश लेने और आगे की जिम्मेदारी दी गई थी कि बेचा गया सामान कोल्ड स्टोरेज से बाहर भेज दिया गया है । यह भी आरोप है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने बातचीत के दौरान बताया कि आवेदक ने दिनांक 05.04.2018 से 25.05.2018 तक 2400 बैग (24000 किलोग्राम) किशमिश जिसकी कीमत 46,50,000/–रूपये है, 80 बैग जीरा (2000 किलोग्राम) जिसकी कीमत 3,50,000/–रूपये है बिक्री की है, जिसे शिकायतकर्ता के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इस प्रकार आवेदक ने आपराधिक न्यासभंग किया है और 50,00,000/–रूपये का नुकसान भी हुआ है और आगे उल्लेख किया गया है कि आवेदक से पूछने पर उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को सूचित किये बिना अन्य व्यापारियों को सामान विक्रय किया था । शिकायत का यही आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट का हिस्सा है और पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है । दंड प्रकिया संहिता की धारा–161 के तहत गवाहों के बयान में उन्होंने कहा कि आवेदक ने बिना बिल और शिकायतकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की जानकारी के बगैर संजय भट्टर और अजय भट्टर को जीरा और किशमिश बेचा। दुखूराम बुडेक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–161 के तहत दर्ज बयान में कहा कि वह सी.जी.04 जे.बी–8015 का चालक है और आवेदक के निर्देश पर उसने सिद्धि विनायक कोल्ड स्टोरेज गिरौध से सामान को आवेदक द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचाया।

12. आरोप पत्र में उपलब्ध तथ्यों से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आवेदक को कोई सामान नहीं सौंपा गया है, जिससे आपराधिक न्यासभंग का अपराध बनता है, पोषणीययोग्य नहीं है और विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई कमी या अवैधता नहीं दिखती, जिसमें कहा गया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार नहीं किया है। यह सामान्य कानून है कि आरोप पत्र तैयार करने के स्तर पर, विचारण न्यायालय को आरोप–पत्र में उपलब्ध सभी सामग्री को स्वीकार करना होता है और आरोप–पत्र में उपलब्ध साक्ष्य पर विश्वास करना होता है। आरोप पत्र विरचित करने के स्तर में न्यायालय को यह संतुष्ट करना पड़ता है कि प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनता है।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार** के मामले में **(2021)11 एस.सी.सी 191** के कंडिका 11.1 और 11.2 में इस प्रकार कहा गया हैः–

> "11.1 **पी.विजयन बनाम केरल राज्य, (2010)2 एस.सी.सी 398** में, इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–227 पर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विचार करने का अवसर मिला था । आरोप तय करने के समय और या उन्मोचित करने के आवेदन पर विचार करते समय किन तथ्यों पर करने की आवश्यकता है इस पर उस निर्णय में विस्तार से यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 के स्तर पर न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छानबीन करनी है कि आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं । यह देखा गया है कि दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता में, पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर, जो प्रत्यक्ष रूप से खुलासा करते हैं कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए संदिग्ध परिस्थितियां है ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके । इसके आगे यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह धारा 228 दं.प्र.सं के तहत विरचित करेगा, यदि नहीं तो वह आरोपी को उन्मोचित कर देगा । यह भी देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण के लिए मामला बनाया गया है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों के आधार पर अपनी न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए । न्यायालय के लिए मामले के पक्ष–विपक्ष में जाना या साक्ष्यों और संभावनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है जो वास्तव में न्यायालय का कार्य विचारण प्रारंभ होने के बाद होता है ।"

"11.2 इस न्यायालय के हालिया निर्णय में कर्नाटक राज्य बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एम.आर.हिरमत (2019) 7 एस.सी.सी 515, हम में से एक (न्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूंड) पीठ की ओर से बोलते हुए कंडिका 25 में निम्नलिखित रूप से अवलोकन कर अभिनिर्धारित किया हैः

"25. उच्च न्यायालय [एम.आर.हिरेमथ बनाम राज्य, 2017 एस.सी.सी ऑनलाईन कर 4970] को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि विचारण न्यायालय दं.प्र.सं की धारा 239 के प्रावधान के तहत उन्मोचित करने के आवेदन पर विचार कर रही थी । इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों को इस न्यायालय के कई निर्णयों में अभिव्यक्त किया गया है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उन्मोचन के लिए आवेदन पर विचार करने के स्तर में न्यायालय को यह मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से सामने आने वाले तथ्य उसके अंकित मूल्य पर, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं । स्टेट ऑफ टी.एन.बनाम एन सुरेश राजन(2014) 11 एस.सी.सी709 में इस विषय पर पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

29. ....इस स्तर पर सामग्री के संभावित मूल्य पर विचार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जाना चाहिए और न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह मामले की गहराई में जाए और यह मान लें कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देती । हमारी राय में इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और यह नहीं कि क्या अभियुक्त को दोषी ठहराने का कोई आधार बनाया गया है । दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय सोचती है कि अभियुक्त ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री के संभावित मूल्य के आधार पर अपराध किया होगा तो वह आरोप विरचित कर सकता है, हालांकि दोषसिद्धि के लिए न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभियुक्त ने अपराध किया है । कानून इस स्तर में लघु विचारण की अनुमति नहीं देता है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **कैप्टन मंजीत सिंह विर्दी (सुप्रा),** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः–

"19. हालांकि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण रिपोर्ट केवल अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से यह साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । अभिलेख पर इस सामग्री के बावजूद, उच्च न्यायालय यह राय नहीं दे सकता था कि मामला आरोप विरचित करने के लिए भी नहीं बनता है, जिसके लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना चाहि ।

20. यदि मामले के तथ्यों की जांच इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के प्रकाश में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों का भी उल्लेख नहीं किया है, जो आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए हैं, बल्कि जांच के दौरान दर्ज किए गए कुछ व्यक्तियों के बयानों का चुनिंदा संदर्भ है। यह दर्शाता है कि यहां पूरी तरह से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने इस तरह से एक जघन्य अपराध के मुकदमें को रोकने के लिए उस तरीके से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जो उसके पास निहित नहीं है ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **विजय कुमार घई** (सुप्रा) के मामले में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है यह तथ्यों से भिन्न है । **अमित कपूर** (सुप्रा) के मामले में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है वह इस स्तर पर आवेदक के लिए कोई सहायता नहीं करता है, जहां विद्वान विचारण न्यायालय को अभी भी आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री के आधार पर अपना विवेक लागू करना है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदक के विरूद्ध आरोप तय करना है ।

16. विद्वान सत्र न्यायालय ने पुनरीक्षण में शक्तियों का प्रयोग करते हुए दर्ज किया है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने कानून के अनुसार आरोप–पत्र में उपलब्ध संपूर्ण सामग्री पर विचार किया और इसलिए आवेदक के विरूद्ध आरोप विरचित

करने संबंधी दिनांक 12.10.2018 के आदेश को खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय की राय में किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है ।

17. उपर्युक्त चर्चाओं के लिए मुझे इस पुनरीक्षण में कोई आधार नहीं दिखता और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है ।

18. हालांकि यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट/आरोप पत्र में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक से गुण–दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेंगे ।

सही/–
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**